माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

क्रमांक / 1055/ गोपनीय / 2015

कार्या :–(0755) 2551166,(EPBX No. 111)
भोपाल, दिनांक 29/12/2015

/ /आदेश/ /

वर्ष 2016 की हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम, पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि एवं शारीरिक प्रशिक्षण परीक्षा के नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षायें उनसे संबंधित अध्ययनरत शालाओं में तथा स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षायें परीक्षा केन्द्र में ही दिनांक 12 फरवरी 2016 से 27 फरवरी 2016 तक नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों की परीक्षा केन्द्र पर 01 मार्च 2016 से 20 मार्च 2016 के मध्य सम्पन्न की जाएगी।

2. प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन सुव्यवस्थित रूप से निर्धारित समयावधि में सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता है।

परीक्षा का नाम	प्रायोगिक परीक्षायें सम्पन्न करवाने की अवधि	समन्वयक शाला में प्रायोगिक अंक प्राप्त होने की तिथि	संभागीय कार्यालय द्वारा समन्वयक संस्था से अंक प्राप्त करने का विवरण	संभागीय कार्यालय से मुख्यालय में अंक प्राप्त होने की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5
हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी एवं हा.से. व्यावसायिक पाठ्यक्रम ,पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि एवं शारीरिक प्रशिक्षण परीक्षा वर्ष 2016 (नियमित एवं स्वाध्यायी)	(i)नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा 12 फरवरी से 27 फरवरी के मध्य संस्था में। (ii) स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र में दिनांक 01मार्च से 20 मार्च के मध्य संपन्न होगी।	संबंधित संस्था की समस्त विषयों की प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न होने से अगले दिन नियमित हेतु– (i) 28 फरवरी 2016 (ii) स्वाध्यायी हेतु 21 मार्च 2016	(i) नियमित छात्रों के अंक 29 फरवरी एवं (ii) स्वाध्यायी छात्रों के अंक 22 मार्च 2016 तक समन्वय संस्था से संभागीय अधिकारी अपने कर्मचारी भेजकर अंक प्राप्त करेंगें।	नियमित हेतु 08 मार्च 2016 व स्वाध्यायी हेतु 28 मार्च 2016

3. प्रायोगिक परीक्षाओं के संचालन हेतु निम्न संस्थाओं को समन्वयक संस्था एवं संस्था के प्राचार्य को समन्वयकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(ब)

क्र.	जिला	समन्वयक संस्था का नाम	क्र.	जिला	समन्वयक संस्था का नाम
1	मुरैना	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. मुरैना	18	सीधी	शा. उ.मा.वि. क्र. 2 सीधी
2	श्योपुर	शा.बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि.श्योपुर कलां	19	अनूपपुर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. चेतना नगर अनूपपुर
3	भिण्ड	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि.. क्र.1 भिण्ड	20	सिंगरोली	शा.बालक उ.मा.वि. बैढ़न, सिंगरोली
4	ग्वालियर	शा.पदमा कन्या उ.मा.वि. लश्कर	21	मंदसौर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र. 1 मंदसौर
5	दतिया	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. दतिया	22	नीमच	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 नीमच
6	शिवपुरी	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. शिवपुरी	23	रतलाम	शा. बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.2 रतलाम
7	गुना	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. गुना	24	उज्जैन	शा. कन्या उ.मा.वि. सराफा उज्जैन
8	अशोकनगर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. अशोकनगर	25	शाजापुर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. शाजापुर
9	टीकमगढ़	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 टीकमगढ़	26	देवास	शा.एस.एन.बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि क्र.2 देवास
			27	आगर	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. आगर
10	छतरपुर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 छतरपुर	28	झाबुआ	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. झाबुआ
11	पन्ना	शा.आर.पी.उत्कृष्ट उ.मा.वि. पन्ना	29	धार	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 घोडा चौपाटी धार
12	सागर	शा.एम.एल.बी. कन्या उ.मा.वि.क्र.1, सागर	30	इन्दौर	शा. मालव कन्या उमावि मोतीतबेला, इन्दौर
14	दमोह	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. दमोह	31	खरगौन	शा. डी.ए. बालक उत्कृष्ट उमावि क्र. 1 खरगौन
14	सतना	शा. व्यंकटउत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.1 सतना	32	बड़वानी	शा.बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि.क्र.1 बडवानी
15	रीवा	शा.मार्तण्ड उ.मा.वि.क्रं–1 रीवा	33	खण्डवा	शा रायचन्द्र नागड़ा बहु. उत्कृष्ट उ.मा.वि. खण्डवा
16	शहडोल	शा. रघुराज उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र.2 शहडोल	34	बुरहानपुर	शा. सुभाष उ.मा.वि. बुरहानपुर
17	उमरिया	शा.बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. उमरिया	35	अलीराजपुर	शा. सरप्रताप उत्कृष्ट उ.मा.वि. अलीराजपुर

परीक्षा होना है, उनके हरे एवं लाल रंग कपड़े के बण्डलों के भीतर ही नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के बण्डल पृथक–पृथक रखें जावें। प्रत्येक बण्डल में उत्तरपुस्तिकायें 200 से अधिक न रखें।

6. पारिश्रमिक एवं मानदेय का भुगतान

6.1 प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए समन्वय संस्था के प्राचार्य/कर्मचारियों को निम्नानुसार मानदेय का भुगतान किया जावें :–

1. समन्वयक संस्था के प्राचार्य को	रूपये 720/–(सात सौ बीस)
2. समन्वयक संस्था के परीक्षा सहायक को	रूपये 300/–(तीन सौ)
3. समन्वयक संस्था के परीक्षा कार्य से संबंधित लिपिक को	रूपये 120/– (एक सौ बीस)
4. समन्वयक संस्था के परीक्षा कार्य से संबंधित भृत्य को	रूपये 85/– (पिच्यासी)
5. समन्वयक संस्था में पैकिंग एंव डाक व्यय	रूपये 220/–(दो सौ बीस)

6.2 प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने वाले बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकनकर्ता को निम्नानुसार पारिश्रमिक भुगतान किया जायेगा:–

1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्रति छात्र 6/–रूपये प्रति विषय एवं न्यूनतम 100/– प्रति परीक्षक।
2. हाईस्कूल परीक्षा में प्रति छात्र 5/– न्यूनतम 100/– प्रति परीक्षक
3. हायर सेकेण्डरी की प्रायोगिक परीक्षा के लिए विज्ञान सहायक/प्रयोगशाला सहायक को दो रूपये प्रति छात्र अथवा रूपये 80/– जो भी अधिक हो का भुगतान किया जायेगा।
4. हाईस्कूल की प्रायोगिक परीक्षा के लिए विज्ञान सहायक/प्रयोगशाला सहायक को 1/– प्रति छात्र अथवा रूपये 60/– जो भी अधिक हो का भुगतान किया जायेगा।

7. अंक प्रेषण हेतु विलंब शुल्क

7.1 अंक प्राप्ति की उपरोक्त निर्धारित तिथियों के उपरांत संस्थाओं के द्वारा नियमित छात्र के अंक दिनांक 03/03/2016 तक Rs 2000/–(दो हजार रूपये) प्रति परीक्षा एवं 05/03/2016 तक Rs 5000/–(पांच हजार रूपये) प्रति परीक्षा के मान से विलंब शुल्क जमा करने के उपरांत ही अंक जमा किये जावेंगे, इसके पश्चात प्रायोगिक परीक्षा के अंक मान्य नही किये जावेगे साथ ही अंक समयावधि में जमा नही करने के कारण संस्था की संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/1056/गोपनीय/2015 भोपाल, दिनांक 29/12/2015

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर/ पुलिस अधीक्षक म.प्र.।
4. निज सचिव/निज सहायक, अध्यक्ष/सचिव/अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म.प्र.।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण, म.प्र. कृपया अधीनस्थ शालाओं के प्राचार्यो के नाम परिपत्र जारी कर निर्देशित करें कि उनके अधीनस्थ शिक्षक जिन्हें प्रायोगिक परीक्षा का कार्य दिया गया है समय पर प्रायोगिक परीक्षा लें। कृपया प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु शालाओं में पर्यवेक्षण की योजनाबद्ध प्रणाली व्यवहृत करें।
8. आंचलिक अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर/समस्त संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.की ओर भेजकर लिखा जाता है कि मण्डल मुख्यालय में अंक जमा कराने की निर्धारित तिथि में समस्त परीक्षाओं के अंकों के "डी" एवं "ई" कव्हर को संस्थावार पृथक–पृथक सूची तैयार कर भेजना सुनिश्चित करें।
9. समस्त प्राचार्य, मान्यता प्राप्त संस्थायें/प्रायोगिक परीक्षा समन्वयक शालाएँ (जिला समन्वयक) जिला मुख्यालय (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुये अपेक्षित है कि कृपया प्रत्येक परीक्षा के संस्था से प्राप्त अंकों की प्रविष्टी, प्राप्ति तिथि सहित अंकित करें तथा सभी संस्थाओं के अंको के लिफाफे सूचीबद्ध कर संबंधित संभागीय कार्यालय को क्रमशः दिनांक 28/02/2016 एवं स्वाध्यायी छात्रों के अंक 22/03/2016 तक अनिवार्यतः सौंपे। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त लिफाफे स्वीकार नहीं किये जाऐंगे। प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल सूचीबद्धकर विषयवार व्यवस्थित कर समन्वयक संस्था में ही रखें जावें।
10. वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल। कृपया समस्त संस्थाओं को प्रायोगिक परीक्षा के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि 31/01/2016 तक उपलब्ध कराएँ।
11. चीफ सिस्टम ऑफिसर(सी.एस.ओ.) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल, की ओर प्रेषित करते हुये अनिवार्यतः अपेक्षित है कि हा.से. एवं हाईस्कूल के प्रायोगिक विषयों की संस्थावार, विषयवार छात्र संख्या की सूची वित्त अधिकारी की ओर 20/01/2015 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. समस्त पंजीयक/जनसंपर्क अधिकारी/सहायक सचिव परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल आदेश की प्रति समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश भोपाल

परीक्षा होना है, उनके हरे एवं लाल रंग कपड़े के बण्डलों के भीतर ही नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के बण्डल पृथक–पृथक रखें जावें। प्रत्येक बण्डल में उत्तरपुस्तिकायें 200 से अधिक न रखें।

6. पारिश्रमिक एवं मानदेय का भुगतान

6.1 प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए समन्वय संस्था के प्राचार्य/कर्मचारियों को निम्नानुसार मानदेय का भुगतान किया जावें :–

1. समन्वयक संस्था के प्राचार्य को	रूपये 720/–(सात सौ बीस)
2. समन्वयक संस्था के परीक्षा सहायक को	रूपये 300/–(तीन सौ)
3. समन्वयक संस्था के परीक्षा कार्य से संबंधित लिपिक को	रूपये 120/– (एक सौ बीस)
4. समन्वयक संस्था के परीक्षा कार्य से संबंधित भृत्य को	रूपये 85/– (पिच्यासी)
5. समन्वयक संस्था में पैकिंग एंव डाक व्यय	रूपये 220/–(दो सौ बीस)

6.2 प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने वाले बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकनकर्ता को निम्नानुसार पारिश्रमिक भुगतान किया जायेगा:–

1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्रति छात्र 6/–रूपये प्रति विषय एवं न्यूनतम 100/– प्रति परीक्षक।
2. हाईस्कूल परीक्षा में प्रति छात्र 5/– न्यूनतम 100/– प्रति परीक्षक
3. हायर सेकेण्डरी की प्रायोगिक परीक्षा के लिए विज्ञान सहायक/प्रयोगशाला सहायक को दो रूपये प्रति छात्र अथवा रूपये 80/– जो भी अधिक हो का भुगतान किया जायेगा।
4. हाईस्कूल की प्रायोगिक परीक्षा के लिए विज्ञान सहायक/प्रयोगशाला सहायक को 1/– प्रति छात्र अथवा रूपये 60/– जो भी अधिक हो का भुगतान किया जायेगा।

7. अंक प्रेषण हेतु विलंब शुल्क

7.1 अंक प्राप्ति की उपरोक्त निर्धारित तिथियों के उपरांत संस्थाओं के द्वारा नियमित छात्र के अंक दिनांक 03/03/2016 तक Rs 2000/–(दो हजार रूपये) प्रति परीक्षा एवं 05/03/2016 तक Rs 5000/–(पांच हजार रूपये) प्रति परीक्षा के मान से विलंब शुल्क जमा करने के उपरांत ही अंक जमा किये जावेंगे, इसके पश्चात प्रायोगिक परीक्षा के अंक मान्य नही किये जावेगे साथ ही अंक समयावधि में जमा नही करने के कारण संस्था की संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/1056/गोपनीय/2015 भोपाल, दिनांक 29/12/2015

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर/ पुलिस अधीक्षक म.प्र.।
4. निज सचिव/निज सहायक, अध्यक्ष/सचिव/अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म.प्र.।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण, म.प्र. कृपया अधीनस्थ शालाओं के प्राचार्यो के नाम परिपत्र जारी कर निर्देशित करें कि उनके अधीनस्थ शिक्षक जिन्हें प्रायोगिक परीक्षा का कार्य दिया गया है समय पर प्रायोगिक परीक्षा लें। कृपया प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु शालाओं में पर्यवेक्षण की योजनाबद्ध प्रणाली व्यवहृत करें।
8. आंचलिक अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर/समस्त संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.की ओर भेजकर लिखा जाता है कि मण्डल मुख्यालय में अंक जमा कराने की निर्धारित तिथि में समस्त परीक्षाओं के अंकों के "डी" एवं "ई" कव्हर को संस्थावार पृथक–पृथक सूची तैयार कर भेजना सुनिश्चित करें।
9. समस्त प्राचार्य, मान्यता प्राप्त संस्थायें/प्रायोगिक परीक्षा समन्वयक शालाएँ (जिला समन्वयक) जिला मुख्यालय (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुये अपेक्षित है कि कृपया प्रत्येक परीक्षा के संस्था से प्राप्त अंकों की प्रविष्टी, प्राप्ति तिथि सहित अंकित करें तथा सभी संस्थाओं के अंको के लिफाफे सूचीबद्ध कर संबंधित संभागीय कार्यालय को क्रमशः दिनांक 28/02/2016 एवं स्वाध्यायी छात्रों के अंक 22/03/2016 तक अनिवार्यतः सौंपे। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त लिफाफे स्वीकार नहीं किये जाऐंगे। प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल सूचीबद्धकर विषयवार व्यवस्थित कर समन्वयक संस्था में ही रखें जावें।
10. वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल। कृपया समस्त संस्थाओं को प्रायोगिक परीक्षा के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि 31/01/2016 तक उपलब्ध कराऐं।
11. चीफ सिस्टम ऑफिसर(सी.एस.ओ.) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल, की ओर प्रेषित करते हुये अनिवार्यतः अपेक्षित है कि हा.से. एवं हाईस्कूल के प्रायोगिक विषयों की संस्थावार, विषयवार छात्र संख्या की सूची वित्त अधिकारी की ओर 20/01/2015 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. समस्त पंजीयक/जनसंपर्क अधिकारी/सहायक सचिव परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल आदेश की प्रति समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश भोपाल